भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 | Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये | TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 224237

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : [illegible]
3. ग्राम : [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) : भूमि खसरा संख्या–20[illegible]

[illegible]

A/EL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्री [illegible]

[illegible] 2/1/2012 [illegible]

[illegible] किया [illegible]

[illegible]

[illegible] 2/1/2012

Dom Reg

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.646 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: नहीं
10.	सर्किल रेट की धनराशि	: रू0 60,53,970/-
11.	प्रतिफल	: रू0 35,00,000/
12.	स्टाम्प	: रू0 4,23,800/-

2-11-12

[illegible]

[illegible]

बही सं [illegible]

दिनांक [illegible]

[illegible]

2/11/2012

[illegible]

[illegible] है।

[illegible]

2/11/[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 224239

1

चौहद्दी

खसरा नं0 208का

पूरब	: खसरा संख्या-208 का भाग
पश्चिम	: खसरा संख्या-211 व 219
उत्तर	: खसरा संख्या-213
दक्षिण	: खसरा संख्या-208/208/130, 207, 209

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3 228240

प्रथम पक्ष की संख्या 01 | द्वितीय पक्ष की संख्या 01

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
अमीर रजा पुत्र अली रजा निवासी–बिजनौर लखनऊ	अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना, वर्तमान पता –प्रथम तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख बशीर रजा पुत्र अली रजा निवासी-बिजनौर लखनऊ, जिसे आगे विक्रेता कहा गया है, एम्‌. अग्रवाल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना, वर्तमान

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पता –प्रथम तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूस्वामिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00011 फसली वर्ष 1413 से 1418 के कृषि भूमि खसरा संख्या–208स रकबा 1.0240 हेक्टेअर में से रकबा 0.645

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

हेक्टेअर, स्थित–ग्राम–हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज है, उक्त भूमि को विक्रेता ने जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय किया था तथा उपरोक्त सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खाता खतौनी खाता संख्या–00011 के अनुसार उक्त कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुकी है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेतागण की भूमि भूमि कृषि योग्य नहीं है। भूमि पर पहुँचने का रास्ता भी नहीं है।

विक्रेतागण की अर्जित भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अन्तर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 26/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेतागण को अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चूंकि विक्रेतागण को रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेतागण ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेतागण द्वारा भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत व अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो सभी विक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की, व जमानत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 220247

आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है। अब क्रमशः खुद विक्रेता को उसी आराजी अथवा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खुद रुचि व समझकर बिना किसी दबाव के, बाबत मुवलिग रु0 60,53,970/- (रुपया साठ लाख तिरपन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हजार नौ सौ सत्तर मात्र) में उपरोक्त क्रेता को बय कराई किया, और कुल विक्रय धनराशि मय तहरीर दस्तावेज स्वयं क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का मालकाना कब्जा करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व वास्ता निस्बत आराजी बयशुदा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

व विक्रय मनसूखी के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होगा, और अगर आराजी मजकूर पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कोई विक्रय, हिबा, इकरार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना मूल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 228258

विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के हक विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 226253

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रित आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त कृषि योग्य भूमि है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआँ व इमारत आदि नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग, जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर के अर्न्तगरीय क्षेत्र के विशिष्ट भाग के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 40,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 293289

20 DEC 2011

- 1 -

जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.646 हेक्टेयर की मालियत रू0 25,80,000/- होता है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर जनरल स्टाम्प शुल्क रू0 1,73,000/- के अदा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 413568

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं है।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का होगा। विक्रेता का उसकी ओर से किसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 412369

अन्य व्यक्ति को अधिकार प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई दावा/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि उक्त प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 250225

विवरण भुगतान।

1. रू० 50,00,000/- (रूपया पचास लाख मात्र) द्वारा चेक संख्या-485267 दिनांकित 09.01.2012 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-हजरतगंज, लखनऊ, विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 740655

JAN

2. रु0 10,53,970/- (अक्षरे दस लाख तिरपन हजार नौ सौ सत्तर मात्र) द्वारा चैक संख्या- 405208 दिनांकित ...01.2012 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-गोलमार्केट, लखनऊ, विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 60,53,970/- (रूपया साठ लाख तिरपन हजार नौ सौ सत्तर मात्र)। विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया, जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या 21 व 22 पर पेज संख्या पेन से लिखे गये हैं।

दिनांक : 21.01.2012

लखनऊ

गवाहान:-

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता:

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसौदाकर्ता:

(मानवेन्द्र प्रदीप सिंह)
एडवोकेट,

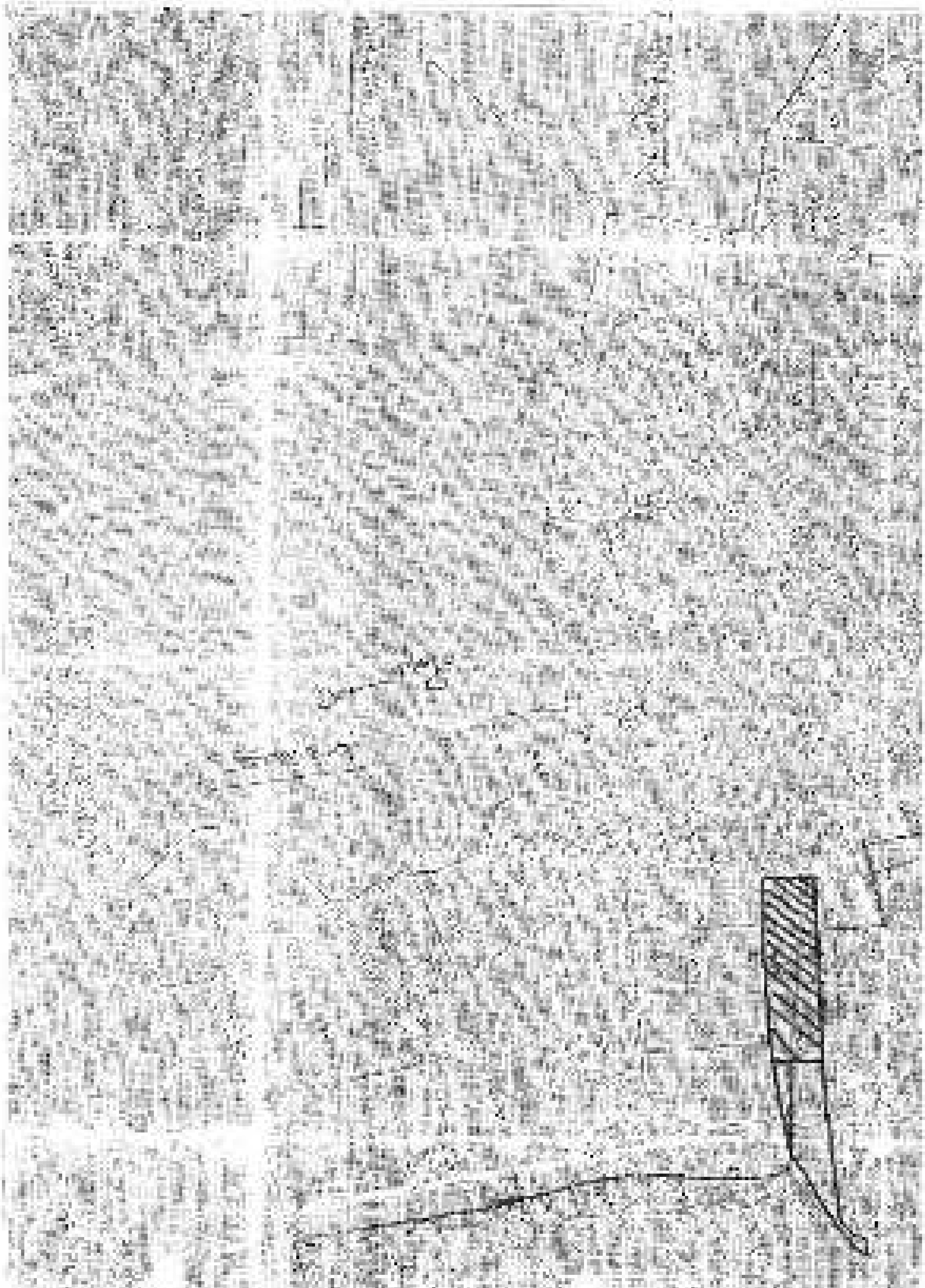

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता: आमिर रजा पुत्र आले रजा निवासी बिजनौर उ०प्र०

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

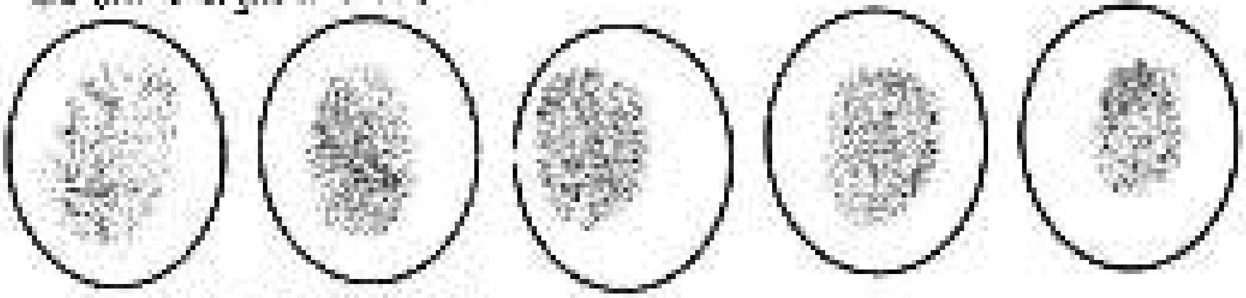

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

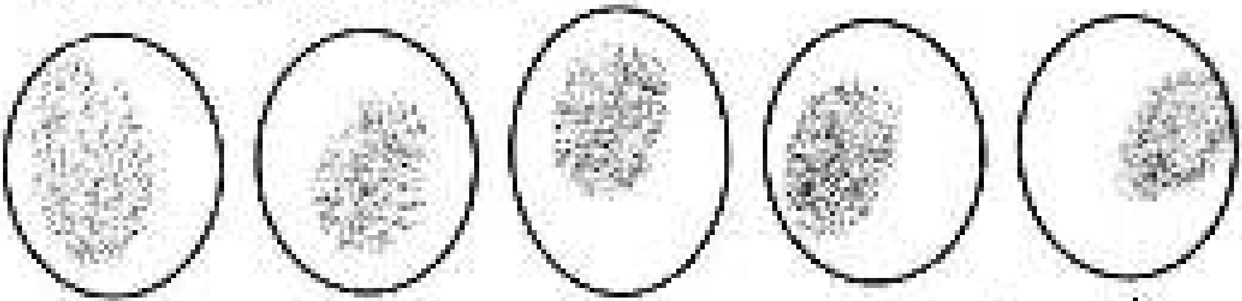

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता : अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री सुशील सक्सेना पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना, वर्तमान पता प्रथम तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

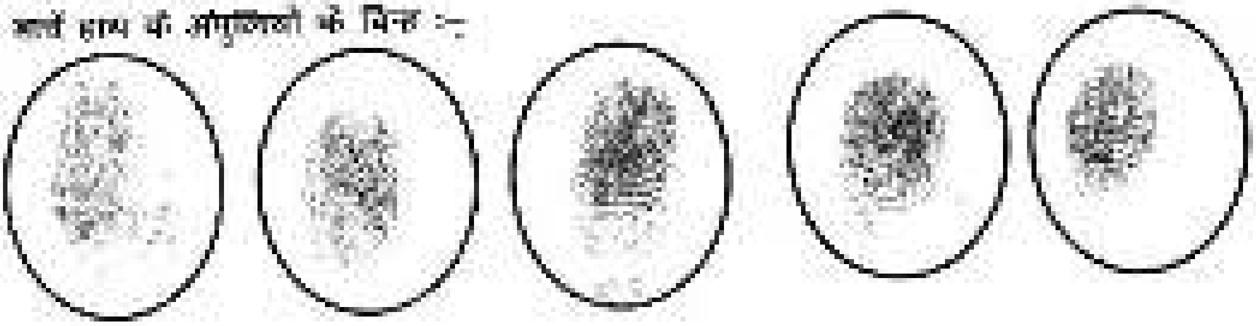

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

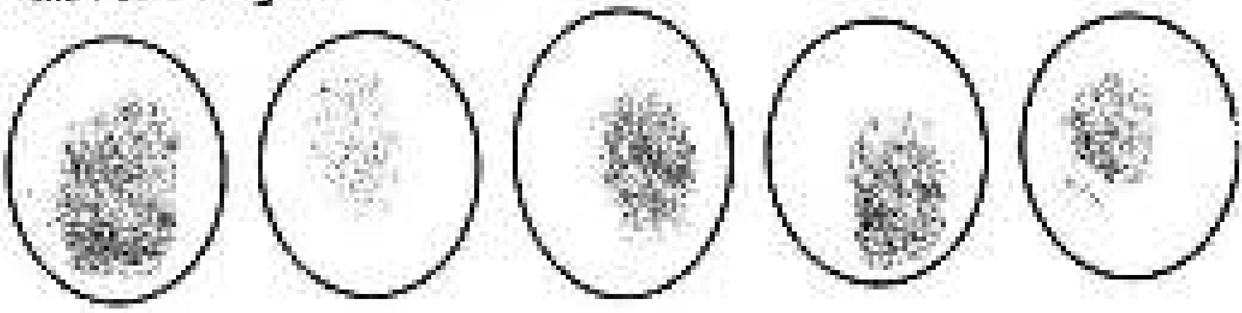

क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible] 13 10
118

[illegible]

[illegible] [illegible]

उप नि
लखनऊ